अध्याय–6
अन्य कर प्राप्तियाँ

(राजस्व क्षेत्र)

अध्याय–6: अन्य कर प्राप्तियाँ

(अ) वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

6.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर यान पर कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0 अधिनियम), केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (के0मो0या0 नियमावली), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली, 1998 (उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली), कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 (कै0बा0रो0 अधिनियम), कैरिज बाई रोड नियमावली, 2011 (कै0बा0रो0 नियमावली), तथा समय–समय पर शासन एवं विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं, परिपत्रों एवं शासकीय आदेशों के द्वारा नियंत्रित होता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित की जाती है, जिनकी सहायता मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है।

क्षेत्र में छः[1] उप परिवहन आयुक्त (उ0प0आ0), 19[2] सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स0प0अ0) तथा 75 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स0स0प0अ0) (प्रशासन) हैं। सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण के सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन किया जाता है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों, दोनों से सम्बन्धित करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन किया जाता है। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के सम्पूर्ण प्रशासन हेतु सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी उत्तरदायी होते हैं।

राज्य में 114 प्रर्वतन दल हैं, प्रत्येक दल में एक स0स0प0अ0 (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक एवं तीन प्रवर्तन सिपाही होते हैं। ये मुख्यालय से सम्बद्ध और जनपद स्तर पर तैनात किये गये हैं। मुख्यालय पर दो विशेष प्रवर्तन दल तैनात हैं। मुख्यालय स्तर पर एक अपर प0आ0 (प्रवर्तन) तथा मण्डलीय[3] स्तर पर छः उप प0आ0 के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में 10 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) जनपद स्तर पर तैनात हैं। प्रवर्तन प्रबंधन पर अपंजीकृत वाहनों/अतिभार वाहनों के संचालन/करापवंचन/राज्य में बिना परमिट के वाहनों/चालक अनुज्ञप्ति/स्वस्थता प्रमाण पत्र/प्रदूषण के मापदण्डों एवं लागू अधिनियमों/नियमों के उल्लंघन से सम्बन्धित अपराधों के जाँच करने का दायित्व है।

विभाग द्वारा एक साफ्टवेयर यथा वाहन को, वाहनों के पंजीकरण, परमिट को जारी/नवीनीकृत करने, कर और शुल्क का आगणन एवं भुगतान करने, स्वस्थता प्रमाण पत्र को जारी/नवीनीकृत करने, चालान जारी करने एवं शास्ति की धनराशि का भुगतान करने की प्रक्रिया के स्वचालन हेतु अपनाया गया था। अतः विभाग के पास वाहन के रूप में एक महत्वपूर्ण नियंत्रण यंत्र है। इस साफ्टवेयर में राजस्व के बकाये, बिना परमिट एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहनों की सूची आदि जैसे विवरण को उत्पन्न करने की सुविधा भी है। तथापि, सी0ए0जी0 द्वारा विगत प्रतिवेदनों में उठाई गयी आपत्तियाँ इंगित करती है कि विभागीय प्राधिकारी इस प्रकार के विशिष्ट विवरणों का

---

1 आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।

2 आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बाँदा, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी।

3 आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।

संज्ञान लेने मे विफल रहे जिसके कारण वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टांतों की पुनरावृत्ति हुई।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016–17 के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा परिवहन विभाग की 76 लेखापरीक्षण योग्य इकाईयों में से 45[4] (59 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 में संग्रहीत सकल राजस्व ₹ 4,410.53 करोड़ में से लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा ₹ 2,080.41 करोड़ (47 प्रतिशत) संग्रहीत किया गया। लेखापरीक्षा जाँच में कर की कम वसूली, अतिरिक्त कर एवं स्वस्थता शुल्क के अनारोपण, शास्ति के अनारोपण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 16.79 करोड़ के 470 प्रस्तर प्रकाश में आये जैसा कि **सारणी–6.1** में दर्शाये गये हैं।

सारणी – 6.1

क्र0सं0	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1.	**कम वसूली** • यात्रीकर/ अतिरिक्त कर • माल कर	166	4.96	29.54
2.	**कर का अपवंचन** • यात्रीकर/ अतिरिक्त कर • माल कर	181	6.47	38.54
3.	**अन्य अनियमिततायें**	123	5.36	31.92
योग		**470**	**16.79**	

(**स्रोतः** लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना)

वर्ष के दौरान विभाग ने कर के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 3,553 मामले जो वर्ष 1999–2000 में और वर्ष 2010–11 से 2015–16 के मध्य इंगित किये गये थे, में से 62 मामलों में ₹ 39.31 लाख के बकाया राजस्व की वसूली की।

इस अध्याय में ₹ 8.61 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 10,898 मामलों को निदर्शित किया गया है। इनमें से कुछ अनियमितताओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान लगातार प्रतिवेदित किया गया है जिसका विवरण **सारणी–6.2** में वर्णित है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु नमूना लेखापरीक्षा में आच्छादित नहीं किये गये। अतः विभाग अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकता है कि वे अपेक्षाओं एवं नियमों का अनुपालन कर रही हैं।

सारणी – 6.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
परिवहन वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया जाना	16,285	5.10	8,792	4.03	6,267	8.35	5,820	2.69	16,246	7.43	53,410	27.60
कैरिज बाई रोड अधिनियम के अर्न्तगत शास्ति का अनारोपण	--	--	--	--	--	--	1,786	4.08	1,430	4.00	3,216	8.08
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया	--	--	--	--	248	19.20	464	30.36	805	35.69	1,517	85.25

[4] स0प0अ0 के कार्यालय– आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बाँदा, बरेली, बस्ती, गोण्डा, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं स0स0प0अ0 के कार्यालय– औरैया, बदायूँ, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, जी0बी0 नगर, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, जे0पी0 नगर, कन्नौज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मैनपुरी, पीलीभीत, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर, सन्त कबीर नगर, सिद्वार्थनगर, सीतापुर, एस0आर0 नगर एवं सुल्तानपुर।

संस्तुतियाँः

1. **विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत उपायों को आरम्भ करना चाहिए कि लेखापरीक्षा द्वारा बार–बार प्रतिवेदित कमियों को पुनः न दोहराया जाय।**
2. **विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित अधिक धनराशि के न/कम वसूली किये गये मामलों में वसूली सुनिश्चित करने एवं अनुश्रवण के लिए अधिक प्रभावी उपायों को आरम्भ करना चाहिए।**

6.3 परिवहन वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया जाना

वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना संभाव्यता संचालित 9,852 वाहनों पर स्वस्थता शुल्क ₹ 54.28 लाख को आरोपित करने एवं शास्ति ₹ 3.94 करोड़ के आरोपण में विभाग विफल रहा।

मो0या0 अधिनियम, 1988 एवं के0मो0या0 नियमावली, 1989 प्रावधानित करता है कि कोई परिवहन यान पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उसके पास स्वस्थता प्रमाण पत्र न हो। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध होता है और उसके बाद प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है। अधिनियम में यह भी प्रावधानित है कि यदि स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं कराया जाता है, तो परिवहन प्राधिकारी ऐसे वाहन का परमिट किसी अवधि के लिए जैसा वह उचित समझे निलम्बित या निरस्त कर सकता है। बिना स्वास्थता प्रमाण पत्र के वाहन का संचालन अर्थदण्ड ₹ 4000[5] प्रति प्रकरण की दर से दण्डनीय है।

के0मो0या0 नियमावली में तिपहिया, हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों के लिए जाँच फीस क्रमशः ₹ 100, ₹ 200, ₹ 300 एवं ₹ 400 निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, सभी श्रेणी के वाहनों पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नवीनीकरण शुल्क ₹ 100 भी आरोपणीय है। चूक की दशा में, निर्धारित जाँच फीस के बराबर अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 53,410 वाहनों पर स्वस्थता शुल्क एवं शास्ति आरोपित न किये जाने के कारण धनराशि ₹ 27.60 करोड़ के शासकीय राजस्व की सतत् हानि को उजागर किया गया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने हेतु लेखापरीक्षा ने वर्ष 2016–17 के दौरान 31[6] स0प0अ0/स0स0प0अ0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की। यह देखा गया कि अक्टूबर 2014 एवं फरवरी 2017 के मध्य 38,061 वाहनों में से 9,852 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित थे, हालांकि उनसे देय कर वसूल किया गया था। यद्यपि, वाहन साफ्टवेयर में इन वाहनों की स्वस्थता समाप्ति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध थी, सम्बन्धित स0प0अ0/स0स0प0अ0 इन प्रकरणों का संज्ञान लेने में विफल रहे। जहाँ स्वस्थता समाप्त हो चुकी थी, वाहन स्वामियों को कर भुगतान से रोकने हेतु साफ्टवेयर में विशिष्ट गुण उपलब्ध नहीं था।

---

[5] उ0प्र0 अधिसूचना सं0 1452/30–4–10–172/89 दिनांक 25 अगस्त 2010 के द्वारा।

[6] स0प0अ0: आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बाँदा, बस्ती, गोण्डा, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं स0स0प0अ0: बलरामपुर, बदायूँ, बागपत, बहराइच, बाराबंकी, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, जे0पी0 नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, पीलीभीत, सन्त कबीर नगर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, सन्त रविदास नगर एवं सुल्तानपुर।

सम्बन्धित स0प0अ0/स0स0प0अ0 (प्रशासन) ने न तो चूककर्ता वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किये और न ही इन वाहनों के परमिट को निरस्त करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ की। ऐसे वाहनों के दुरुपयोग के संभाव्य जोखिमों के साथ संभाव्य संचालन लोक सुरक्षा के प्रति समझौता भी था। स0प0अ0/स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) भी अपनी जाँच के दौरान इन वाहनों का पता लगाने और सड़क पर संचालन रोकने में विफल रहे। परिणामस्वरुप शासन स्वस्थता शुल्क ₹ 54.28 लाख एवं शास्ति ₹ 3.94 करोड़ से वंचित रहा।

विभागीय प्राधिकारियों के साथ समापन गोष्ठी (अक्टूबर 2017) में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि 13 स0प0अ0/स0स0प0अ0 द्वारा 1,656 प्रकरणों में धनराशि ₹ 10.18 लाख की वसूली की जा चुकी है तथा शेष प्रकरणों में माँग–पत्र जारी किये जा चुके हैं।

संस्तुतिः

विभाग को साफ्टवेयर में तंत्र जनित चेतावनी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना वाहनों के संचालन को रोक सके।

6.4 कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण

परिवहन विभाग असुरक्षित वाहनों के सड़क पर सम्भावित संचालन को रोकने में विफल रहा तथा अतिभार में निरूद्ध 836 माल वाहनों पर कैरिज बाई रोड (सी0बी0आर0) अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति ₹ 1.85 करोड़ भी आरोपित नहीं किया तथा इन अपंजीकृत सामान्य वाहकों पर ₹ 33.44 लाख अर्थदण्ड के आरोपण में भी विफल रहा।

सी0बी0आर0 अधिनियम, 2007 अतिभारित मोटर वाहनों (माल) पर मो0या0 अधिनियम के अधीन निर्धारित शास्ति का आरोपण इस तथ्य के होते हुए भी प्रावधानित करता है कि इस प्रकार के वाहनों पर पहले ही यह शास्ति अधिरोपित एवं वसूल की जा चुकी है।

सी0बी0आर0 अधिनियम यह भी प्रावधानित करता है कि व्यापार में संलिप्त कोई अपंजीकृत सामान्य वाहक[7], अपराध के लिए अर्थदण्ड ₹ 4,000[8] प्रति अपराध से दण्डनीय होगा।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2014–15 से 2015–16 में सी0बी0आर0 अधिनियम के अन्तर्गत 3,216 अतिभार वाहनों पर शास्ति का आरोपण न किये जाने के कारण सतत् शासकीय राजस्व क्षति ₹ 8.08 करोड़ को उजागर किया गया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों के मूल्यांकन हेतु वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा ने 35[9] स0प0अ0/स0स0प0अ0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की। अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 के दौरान माल वाहनों के अतिभार के 10,092 में से 836 प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने देखा कि सम्बन्धित

---

7 सामान्य वाहक का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो माल की रसीद पर माल वाहक द्वारा ढ़ोये जाने वाले माल के संग्रहण, भंडारण, अग्रेषण व वितरण के व्यवसाय में लिप्त हैं और जिसमें माल बुकिंग कम्पनी, ठेकेदार, अभिकर्ता, दलाल तथा कोरियर सेवा सम्मिलित हैं जो प्रपत्रों/माल/वस्तुओं को किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से सेवायें लेते हुए ऐसे प्रपत्रों, माल व वस्तुओं को दरवाजे–दरवाजे पहुँचाने में लिप्त हैं।

8 उ0प्र0 अधिसूचना सं0 7/800/30–4–2014–172/89 दिनांक 5 जून 2014।

9 स0प0अ0: आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बाँदा, बरेली, बस्ती, गोण्डा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तथा स0स0प0अ0: औरैया, बदायूँ, बागपत, बहराइच, बाराबंकी, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, जे0पी0 नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, सन्त कबीर नगर, सन्त रविदास नगर, शाहजहाँपुर, सीतापुर एवं सुल्तानपुर।

स0प0अ0/स0स0प0अ0 (प्रवर्तन), असुरक्षित वाहनों के सड़क पर सम्भावित संचालन को रोकने में विफल रहे तथा सी0बी0आर0 अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 1.85 करोड़ की शास्ति[10] जो कि मो0या0 अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित शास्ति की धनराशि के समतुल्य थी, के आरोपण में भी विफल रहे। विभाग ऐसे अपंजीकृत सामान्य वाहकों पर ₹ 33.44 लाख अर्थदण्ड का आरोपण करने में भी विफल रहा।

विभागीय प्राधिकारियों के साथ समापन गोष्ठी (अक्टूबर 2017) में विभाग ने बताया कि ये वाहन सामान्य वाहक के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं थे, इसलिए इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है। सभी स0प0अ0/स0स0प0अ0 को इस तरह के व्यापार में संलिप्त संस्थाओं को पंजीकृत करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग न केवल सामान्य वाहक के व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों को पंजीकृत करने में विफल रहा बल्कि प्रतिवेदित प्रकरणों में सी0बी0आर0 अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड/शास्ति का अरोपण करने में भी विफल रहा।

संस्तुतिः

विभाग को अतिभारित माल वाहनों पर सी0बी0आर0 अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति के आरोपण को सुनिश्चित करना चाहिए।

6.5 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित 210 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर ₹ 1.95 करोड़ के अतिरिक्त कर का अरोपण नहीं किया गया।

राज्य परिवहन उपक्रम (रा0प0उ0) का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 (28 अक्टूबर 2009 को यथा संशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत संचालित रा0प0उ0 के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त हैं।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2013–14 से 2014–15 में 1,517 चूककर्ता वाहनों पर अतिरिक्त कर के अनारोपण से सतत् शासकीय राजस्व क्षति ₹ 85.25 करोड़ को उजागर किया गया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों के मूल्यांकन हेतु वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा ने स0प0अ0 इलाहाबाद एवं मेरठ के अभिलेखों की नमूना जाँच की। यह देखा गया कि अक्टूबर 2015 से जनवरी 2017 के मध्य नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत 244 जे0एन0एन0यू0आर0एम0[11] बसों में से 210 बसें इन नगरों के निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित हो रहीं थी, जिसके लिए ये ₹ 1.95 करोड़ के अतिरिक्त कर के भुगतान की दायी थीं। सम्बन्धित स0प0अ0, रा0प0उ0 को अतिरिक्त कर के आरोपण हेतु नोटिस जारी करने एवं ऐसे वाहनों को निरूद्ध करने में विफल रहे। उन्होंने रा0प0उ0 को इन वाहनों का अतिरिक्त कर जमा न करने पर वसूली प्रमाण पत्र भी निर्गत नहीं किये। परिणामस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ के अतिरिक्त कर की वसूली नहीं की जा सकी।

[10] न्यूनतम अर्थदण्ड दो हजार रुपये व एक हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि अधिभार के प्रति टन पर।
[11] जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन।

विभाग ने समापन गोष्ठी (अक्टूबर 2017) में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित वाहनों से अतिरिक्त कर की वसूली हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।

(ब) स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

6.6 कर प्रशासन

राज्य में स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस का आरोपण एवं संग्रहण भारतीय स्टाम्प अधिनियम (भा0स्टा0 अधिनियम) 1899, निबन्धन अधिनियम 1908, तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों जैसे कि उत्तर प्रदेश में लागू हैं, के अनुसार नियन्त्रित किया जाता है। विलेखों के निष्पादन पर उपरोक्त अधिनियमों के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आरोपित किया जाता है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार विलेखों का मूल्यांकन किया जाता है।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, अनुश्रवण तथा नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक (निबन्धन) (म0नि0नि0), स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं। वह निबन्धन कार्य के प्रबन्धन तथा अधीक्षण हेतु अधिकृत हैं। उनकी सहायता क्रमशः जिला/मुख्यालय स्तर पर 92 सहायक महानिरीक्षकों (स0म0नि0) तथा तहसील स्तर पर 354 उप निबन्धकों (उ0नि0) द्वारा की जाती है।

6.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की 354 लेखापरीक्षण योग्य इकाइयों में से 140 (40 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। विभाग ने वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 12,403.72 करोड़ (स्टाम्प शुल्क : ₹ 7,606.08 करोड़ एवं निबन्धन फीस तथा अन्य प्राप्तियां : ₹ 4,797.64 करोड़) संग्रहीत किया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा ₹ 4,755.59 करोड़ (38 प्रतिशत) संग्रहीत किया गया। लेखापरीक्षा ने 450 प्रस्तरों में ₹ 12.58 करोड़ की कमियों एवं अनियमितताओं को पाया, जैसा कि **सारणी–6.3** में वर्णित है।

सारणी–6.3

क्र0सं0	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1.	सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	49	0.64	5.09
2.	विलेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	334	11.51	91.49
3.	अन्य अनियमिततायें	67	0.43	3.42
योग		**450**	**12.58**	

(**स्रोतः** लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना)

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा वर्ष 1990–91 से 2015–16 में इंगित अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 27 मामलों में ₹ 9.28 लाख की वसूली की गयी।

इस अध्याय में ₹ 6.05 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 157 मामलों को निदर्शित किया गया है। इन अनियमितताओं में, आवासीय भूमि का मूल्यांकन कृषि दर से किये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण विगत पाँच वर्षों में लगातार प्रतिवेदित की गयी हैं, जैसा **सारणी–6.4** में वर्णित है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु नमूना लेखापरीक्षा में आच्छादित नहीं किये गये। अतः विभाग अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकता है कि वे अपेक्षाओं एवं नियमों का अनुपालन कर रही हैं।

सारणी–6.4

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण का प्रकार	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन	103	3.12	64	2.43	97	4.35	194	7.78	214	9.66	672	27.34

संस्तुतिः

विभाग को कमियों को नियन्त्रित करने के लिये उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों को रोका जा सके।

6.8 अधिनियमों/नियमों का अनुपालन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम (भा0स्टा0 अधिनियम) 1899, निबन्धन अधिनियम 1908, और इसके अधीन बनाये गये उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 प्रावधानित करता है :

(i) निबन्धन फीस का निर्धारित दर पर भुगतान; और

(ii) निष्पादकों द्वारा स्टाम्प शुल्क का निर्धारित दर पर भुगतान।

विभागीय अधिकारियों द्वारा उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में विफलता को नीचे प्रदर्शित किया गया है :

6.9 आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन

विभाग द्वारा प्रेरणा साफ्टवेयर का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप 2.93 लाख वर्गमीटर आवासीय भूमि को कृषि दर पर ₹ 32.14 करोड़ में गलत ढंग से निबन्धित किया गया था। आवासीय दर पर सही मूल्यांकन ₹ 134.57 करोड़ आगणित होता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.05 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

भा0स्टा0 अधिनियम, 1899 निर्धारित करता है कि हस्तान्तरण विलेख पर सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इसमें जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है। अग्रेतर महानिरीक्षक निबन्धन (म0नि0नि0) ने जून 2003 में जारी दिशानिर्देशों द्वारा स्पष्ट किया था कि स्टाम्प शुल्क के आरोपण के उद्देश्य से एक ही आराजी[12] संख्या की सम्पत्ति को भिन्न उद्देश्यों के लिए एक से अधिक टुकड़ों यथा एक को कृषि और दूसरे को गैर कृषि में नहीं बाँटा जाना चाहिए।

[12] आराजी, खसरा और गाटा संख्या एक ही हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित भूखण्ड की एक विशेष संख्या को दर्शाते हैं।

प्रेरणा[13] साफ्टवेयर में किसी खसरे में बिक्रीत भूमि का विवरण पाने के लिए खसरा आधारित खोज की सुविधा उपलब्ध थी। तथापि, इस विशेषता का उपयोग उप निबन्धकों द्वारा नहीं किया गया।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक के प्रतिवेदनों में उ0नि0 द्वारा आवासीय भूमि का मूल्यांकन कृषि दर से करने के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के कम आरोपण ₹ 27.34 करोड़ के 672 मामलों को प्रदर्शित किया गया था।

विभाग द्वारा अपनाए गए सुधारात्मक उपायों के मूल्यांकन हेतु लेखापरीक्षा द्वारा 140 उप निबन्धक कार्यालयों (उ0नि0का0) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। लेखापरीक्षा द्वारा 69[14] उप निबन्धक कार्यालयों में कृषि दर से बिक्रीत भूमि के पंजीकृत 61,797 विलेखपत्रों में से 157 विलेखपत्रों की नमूना जाँच में पाया गया कि ₹ 32.14 करोड़ मालियत की 2.93 लाख वर्गमीटर आवासीय भूमि का निबन्धन म0नि0नि0 के निर्देशों की अवहेलना करते हुए कृषि दर से किया गया, जिस पर स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस ₹ 2.21 करोड़ आरोपित किया गया। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि उसी आराजी संख्या का भाग, पूर्व में ही अथवा उसी दिन आवासीय दर से विक्रय किया गया था। अतः उक्त बिक्रीत भूखण्डों का मूल्यांकन भी ₹ 134.57 करोड़ की मालियत पर आवासीय दर से करते हुए ₹ 8.26 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के साथ किया जाना चाहिए था। सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन तथा प्रेरणा साफ्टवेयर की विशेषता के कमतर उपयोग के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस ₹ 6.05 करोड़ का कम आरोपण हुआ **(परिशिष्ट–V)**।

समापन गोष्ठी (सितम्बर 2017) में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और प्रकरणों को सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन हेतु कलेक्टर, स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया। कलेक्टर स्टाम्प ने प्रेक्षण की पुष्टि की और 19 प्रकरणों में ₹ 30.39 लाख का स्टाम्प शुल्क आरोपित किया जिसमें से विभाग ने 11 उप निबन्धक कार्यालयों के 13 प्रकरणों में ₹ 10.54 लाख की वसूली की। छः प्रकरणों में विभाग द्वारा वसूली प्रमाण–पत्र जारी किए गए। शेष 138 प्रकरणों में कार्यवाही लम्बित थी।

संस्तुतिः

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को सम्पत्ति का सही मूल्यांकन और प्रेरणा साफ्टवेयर की विशेषताओं का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

---

[13] निबन्धन प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रेरणा (सम्पत्ति मूल्यांकन और निबन्धन प्रायोज्यता) साफ्टवेयर विभाग द्वारा 1 अगस्त, 2006 से लागू किया गया।

[14] आगरा–उ0नि0 सदर प्रथम, द्वितीय, एत्मादपुर, खैरागढ़ और फतेहाबाद। इलाहाबाद–सदर प्रथम, द्वितीय, हंडिया, करछना और फूलपुर। औरैया–विधूना। आजमगढ़–सदर, निजामाबाद और सगडी। बदायूँ–सदर द्वितीय। बहराइच–कैसरगंज। बाराबंकी–हैदरगढ़। बरेली–सदर द्वितीय। बस्ती–सदर। बुलन्दशहर–सदर द्वितीय, खुर्जा और अनूपशहर। चन्दौली–सदर। देवरिया–रूद्रपुर। फरूर्खाबाद–सदर और कायमगंज। फिरोजाबाद–सदर प्रथम, द्वितीय, शिकोहाबाद और टूण्डला। गाजियाबाद–सदर प्रथम। गाजीपुर–सदर और जमनिया। गोरखपुर–सदर प्रथम, द्वितीय, चौरीचौरा, गोलाबाजार और सहजनवा। हाथरस–सदर। जौनपुर–सदर, मछलीशहर, मडियाहूं और शाहगंज। झांसी–सदर द्वितीय। कानपुर नगर–सदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बिल्हौर और घाटमपुर। कासगंज–सदर। कुशीनगर–सदर, हाटा और कसया। लखीमपुरखीरी–गोला गोकरण। लखनऊ–मलिहाबाद। महाराजगंज–सदर। मऊ–सदर। मेरठ–सदर चतुर्थ। मिर्जापुर–चुनार। मुजफ्फरनगर–सदर प्रथम। प्रतापगढ़–सदर और पट्टी। रामपुर–बिलासपुर। शाहजहाँपुर–जलालाबाद। सिद्वार्थनगर–बांसी। सीतापुर–सिधौली। सोनभद्र–राबर्ट्सगंज और वाराणसी–सदर प्रथम।